न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :— **243 / 2024**

GCMS NO. 2024/483

भोलाराम पुत्र भाताराम जाति गुर्जर निवासी नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज.

..................वादी

— बनाम —

1. गोपीराम पुत्र भाताराम
2. मगलाराम पुत्र भाताराम
3. फुलाराम पुत्र भाताराम

   समस्त जाति गुर्जर निवासी नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.)

.... प्रतिवादीगणगण

वाद — घोषणात्मक नाम दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं
धारा 136 राज0 भू—राजस्व अधिनियम 1956

वकीलवादी — श्री ग्यारसीलाल गुर्जर

—: निर्णय :— **दिनांक :— 02.12.2025**

उपर्युक्त उनवानी वाद पत्र वादी की ओर से पेश किया गया है कि ग्राम **नयानगर** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 के खाता सं. 4 के ख.नं. 176 रकबा 0.55 है., ख.नं. 177 रकबा 0.03 है., ख.नं. 178 रकबा 0.22 है., ख.नं. 179 रकबा 0.81 है., ख.नं. 180 रकबा 0.59 है., ख.नं. 239 रकबा 0.29 है., ख.नं. 240 रकबा 0.04 है., ख.नं. 245 रकबा 0.08 है., ख.नं. 247 रकबा 0.22 है., ख.नं. 248 रकबा 0.56 है., ख.नं. 249 रकबा 0.27 है., ख.नं. 263 रकबा 0.78 है. कुल किता 12 कुल रकबा 4.44 हैक्टर तथा वाके ग्राम **नांगलिया गूजरवास** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के हाल खाता सं. 85 के हाल ख.नं. 1154 रकबा 0.48 है., ख.नं. 1156 रकबा 0.94 है., ख.नं. 1159 रकबा 0.48 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.90 हैक्टर तथा वाके ग्राम नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के हाल खाता सं. 121 के हाल ख.नं. 1318 रकबा 0.31 है., ख.नं. 1325 रकबा 0.66 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.97 हैक्टर का वादी संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादी का सही नाम **भोलाराम** पुत्र भाताराम जो वादी के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, बोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पास बुक आदि तथा ग्राम **मेहाड़ा गूजरवास** स्थित भूमि खाता सं. 179 में दर्ज है। लेकिन उपरोक्त वर्णित भूमि ग्राम नयानगर स्थित खाता सं. 4 में राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से या भूल व गलती से भोलाराम पुत्र भाता दर्ज कर दिया गया व ग्राम नांगलिया गुजरवास स्थित भूमि खाता सं. 85 व 121 में भुरूराम पुत्र भाताराम दर्ज कर दिया गलत दर्ज कर दिया जबकि सही नाम भोलाराम पुत्र भाताराम है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। राजस्व रिकार्ड तथा अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम अलग अलग दर्ज होने से वादी को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे व भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में परेशानी होती है। इसलिये वादी को अपना नाम दुरुस्ती बाबत यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:03:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम **नयानगर** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता सं. 4 के ख.नं. 176 रकबा 0.55 है., ख.नं. 177 रकबा 0.03 है., ख.नं. 178 रकबा 0.22 है., ख.नं. 179 रकबा 0.81 है., ख.नं. 180 रकबा 0.59 है., ख.नं. 239 रकबा 0.29 है., ख.नं. 240 रकबा 0.04 है., ख.नं. 245 रकबा 0.08 है., ख.नं. 247 रकबा 0.22 है., ख.नं. 248 रकबा 0.56 है., ख.नं. 249 रकबा 0.27 है., ख.नं. 263 रकबा 0.78 है., कुल किता 12 कुल रकबा 4.44 हैक्टर में दर्ज वादी का नाम भोलाराम पुत्र भाता हजब किया जाकर उसके स्थान पर भोलाराम पुत्र भाताराम घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे। तथा वाके ग्राम **नांगलिया गूजरवास** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के हाल खाता सं. 85 के हाल ख.नं. 1154 रकबा 0.48 है., ख.नं. 1156 रकबा 0.94 है., ख.नं. 1159 रकबा 0.48 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.90 हैक्टर तथा वाके ग्राम **नांगलिया गूजरवास** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के हाल खाता सं. 121 के हाल ख.नं. 1318 रकबा 0.31 है., ख.नं. 1325 रकबा 0.66 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.97 हैक्टर में दर्ज वादी का नाम भुरूराम पुत्र भाताराम हजब किया जाकर उसके स्थान पर भोलाराम पुत्र भाताराम घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 2 की और से शपथ पत्र पेश कर वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष को स्वीकार किया। साथ ही प्रतिवादी सं. 04 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांक भू.अ./2025/1562 दिनांक 23.06.2025 से जांच रिपोर्ट मय पटवारी हल्का नांगलिया गूजरवास/मेहाड़ा जाटूवास की मूल रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है जो बाद शामिल पत्रावली की गई।

वादी की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता सं. नया 178, 179 ग्राम मेहाड़ा गूजरवास, नकल जमाबन्दी संवत् 2075–2078 खाता सं. नया 4 ग्राम नयानगर, नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता सं. नया 85 ग्राम नागलिया गुजरवास, प्रतिलिपि आधार कार्ड पेश की।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादी एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं तहसीलदार खेतड़ी व पटवार हल्का नांगलिया गूजरवास/मेहाड़ा जाटूवास की बिन्दूवार जांच रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार खेतड़ी के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/1562 दिनांक 23.06.2025 की जांच रिपोर्ट के द्वारा वादी **भुरूराम पुत्र भाताराम** के स्थान पर **भोलाराम पुत्र भाताराम** दुरूस्त किये जानी की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक वाद वादी स्वीकार कर डिक्री योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम **नयानगर** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता सं. नया 4 में **भोलाराम पुत्र भाता** के स्थान पर **भोलाराम पुत्र भाताराम** तथा ग्राम **नांगलिया गूजरवास** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के हाल खाता सं. नया 85, 121 में वादी को वर्तमान में दर्ज नाम **भुरूराम पुत्र भाताराम** के स्थान पर **भोलाराम पुत्र भाताराम** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खातें में शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **02–12–2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:03:32 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

भोलाराम — ब ना म — गोपीराम आदि

दावा बाबत घोषणात्मक नाम दुरूस्ती
मुकदमा नम्बर :– 243 / 2024 GCMS No. – 2024/483
निर्णय दिनांक :– 02 / 12 / 25

वादी की ओर से श्री ग्यारसीलाल गुर्जर एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 04 की और से स्वयं तहसीलदार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02 / 12 / 25 को मेरे समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि : –

'' अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम नयानगर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता सं. नया 4 में भोलाराम पुत्र भाता के स्थान पर भोलाराम पुत्र भाताराम तथा ग्राम नांगलिया गूजरवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के हाल खाता सं. नया 85, 121 में वादी को वर्तमान में दर्ज नाम भुरूराम पुत्र भाताराम के स्थान पर भोलाराम पुत्र भाताराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खातें में शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।''

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **02.12.2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:03:32 IST
Reason: SelfAttested